बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–14.08.2018 को अल्प वर्षापात/संभावित बाढ़ से निपटने हेतु आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्यवाही।

---

1. **उपस्थिति– संलग्न।**

2. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा राज्य में वर्त्तमान में वर्षापात एवं फसल आच्छादन की जानकारी दी गई। उनके द्वारा पूर्व वर्षों तथा वर्त्तमान में वर्षापात तथा फसल आच्छादन की तुलनात्मक स्थिति की जानकारी दी गई जो निम्नवत् है :–

दिनांक	31.07.2018	10.08.2018	14.08.2018	13.08.2017	13.08.2013
वर्षापात	-23 %	-17 %	-17 %	+11%	-28%
धान आच्छादन	53.57%	80.33%	87.04%	96.43%	66.55%

उनके द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 07.08.2018 को नालन्दा जिला के रहुई प्रखण्ड तथा सुपौल जिला के किशनपुर एवं मरौना प्रखण्ड में बाढ़ आयी थी, जिससे क्रमशः 2724 एवं 11600 व्यक्ति प्रभावित हुए। नालन्दा जिला में एक राहत शिविर का संचालन किया गया जिसमें 500 व्यक्ति शरण लिए थे। नालन्दा जिला में प्रभावितों के बीच 1262 सूखा राशन का वितरण किया गया जबकि सुपौल जिला में 300 क्वींटल चुड़ा तथा 38 कि0ग्रा0 गुड़ का वितरण किया गया।

3. **<u>भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)</u>**

निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में राज्य में औसत वर्षापात में कमी 17 प्रतिशत है तथा 19 प्रतिशत से अधिक विचलन वाले जिलों की संख्या 24 है, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक विचलन वाले जिलों की संख्या 2 **(सारण, वैशाली)** है। सामान्य वर्षापात एवं सामान्य से अधिक वर्षापात वाले जिलों की संख्या 14 (**औरंगाबाद, बांका, भभुआ, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, नवादा, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी एवं पश्चिम चम्पारण**) है। वर्त्तमान में अच्छी बारिश होने की संभावना है। एक सप्ताह के बाद झारखंड राज्य में अच्छी वर्षा होने की संभावना है, जिससे दक्षिणी बिहार के जिले प्रभावित होंगे। माह सितम्बर, 2018 में भी राज्य में अच्छी वर्षापात की संभावना है।

4. <u>कृषि विभाग</u>

कृषि विभाग के प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि राज्य में धान का बीचड़ा का आच्छादन 98.46 प्रतिशत है तथा धान रोपनी का आच्छादन 87.04 प्रतिशत है एवं मक्का का आच्छादन 81.35 प्रतिशत है। 64 प्रखण्डों में 50 प्रतिशत से कम वर्षापात हुई है, जबकि 30 प्रखण्डों में धान की रोपनी 50 प्रतिशत से कम है। डीजल अनुदान के संबंध में बताया गया है कि ऑन लाईन आवेदन प्राप्त कर अनुदान की राशि वितरण की कार्रवाई की जा रही है। अबतक 52538 किसानों को 4.92 करोड़ रू0 का वितरण किया जा चुका है। वैकल्पिक फसल योजना अन्तर्गत किसानों के आवश्यकता के अनुसार बीजों का प्रबंध कर लिया गया है, जिन्हें उनकी मांग पर निःशुल्क उपलब्ध करा दिया जाएगा। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 31.07.2018 को माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न CMG की बैठक में 5 जिले यथा मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, पटना एवं नालन्दा में कम वर्षापात के आलोक में फसल आच्छादन की स्थिति पर नजर रखने का निदेश दिया गया था, जिसकी अद्यतन स्थिति निम्न है :–

जिला का नाम	IMD के अनुसार औसत वर्षापात में कमी (प्रतिशत में)	धान का बीचड़ा का आच्छादन (प्रतिशत में)	धान का आच्छादन (प्रतिशत में)	मक्का का आच्छादन (प्रतिशत में)
मुजफ्फरपुर	42	94.84	81.72	74.78
वैशाली	59	90.00	74.00	91.30
सारण	49	100.00	88.11	100.00
पटना	23	100.00	84.96	94.05
नालन्दा	28	98.96	78.01	53.80

उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जमुई जिला में 50 प्रतिशत से कम धान की रोपनी हुई है। इसका मुख्य कारण विलंब से धान की रोपनी है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा वर्षापात के संबंध में की गई भविष्यवाणी के आलोक में अच्छी वर्षापात होने पर ससमय धान रोपनी का आच्छादन का लक्ष्य पूरा होने की संभावना है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह निदेश दिया गया है कि कम आच्छादन वाले प्रखण्डों में स्थिति पर सतत निगरानी रखी जाय। वैकल्पिक फसल अन्तर्गत किसानों को उनके आवश्यकता के अनुसार शीघ्र बीज उपलब्ध करा दिया जाय तथा डीजल अनुदान के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई शीघ्र की जाय। उनके द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि धान रोपनी के आच्छादन की वास्तविक स्थिति की जानकारी हेतु हवाई सर्वेक्षण कर ली जाय।

5. <u>जल संसाधन विभाग</u>

जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा बताया गया कि सोन नहर प्रणाली के अन्तर्गत सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज पर 32110 घनसेक जलस्राव उपलब्ध है। पूर्वी एवं पश्चिमी संयोजक नहरों में क्रमशः 4660 एवं 10039 घनसेक जलस्राव प्रवाहित किया जा रहा है। उत्तर कोयल नहर प्रणाली के अन्तर्गत उत्तर कोयल नदी में 15530 घनसेक

जलस्राव उपलब्ध है। गंडक नहर प्रणाली के अन्तर्गत बाल्मीकीनगर बराज पर 166500 घनसेक जलस्राव उपलब्ध है, जिससे पूर्वी एवं पश्चिमी मुख्य नहरों में क्रमशः 8000 एवं 11000 घनसेक जलस्राव प्रवाहित किया जा रहा है। कोशी नहर प्रणाली के अन्तर्गत वीरपुर बराज पर 241925 घनसेक जलस्राव उपलब्ध है, जिससे पूर्वी एवं पश्चिमी कोशी मुख्य नहरों में क्रमशः 6500 एवं 3200 घनसेक जलस्राव प्रवाहित किया जा रहा है तथा जलाशय/वीयर योजनाएँ से पानी की उपलब्धता एवं किसानों द्वारा पानी की मांग के अनुसार नहरों में जलस्राव प्रवाहित किया जा रहा है। राज्य के वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से कुल 2108039 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की लक्ष्य के विरूद्ध कुल 1473359 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध करायी गई है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया है कि नहरों के जलस्राव पर विशेष ध्यान दिया जाय, और जल के अंतिम छोर तक पहुँचने की व्यवस्था पर निगरानी रखी जाय।

6. <u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</u>

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव द्वारा बताया गया कि राज्य में दक्षिण भाग के 17 जिलों में Median Value के आधार पर अगस्त 2017 की तुलना में अगस्त 2018 (प्रथम सप्ताह) में औसत भू–जलस्तर गिरावट वाले जिलों में जमुई में 2' से 3' के बीच भू–जल स्तर में गिरावट है।

राज्य के उत्तरी भाग के 21 जिलों का Median Value के आधार पर अगस्त 2017 की तुलना में अगस्त 2018 (प्रथम सप्ताह) में औसत भू–जलस्तर गिरावट वाले जिलों में सारण, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, मधेपुरा एवं किशनगंज में 0'–1' के बीच तथा वैशाली, सिवान एवं समस्तीपुर में 1'–2' के बीच भू–जल स्तर में गिरावट है।

वर्त्तमान में 60 टैंकरो के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है, जिसमें नालन्दा, गया, जहानाबाद, कैमूर, मुंगेर, जमुई एवं वैशाली जिला के 23 प्रखण्डों के 32 पंचायत शामिल हैं। वर्त्तमान वर्ष 2018–19 में अबतक 59728 चापाकलों की मरम्मति करायी गयी है तथा मरम्मति हेतु गैंग की संख्या 559 है। चापाकल मरम्मति हेतु 2483 प्राप्त शिकायत के विरूद्ध 1765 शिकायतों का निष्पादन किया जा चुका है।

माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भू–जल स्तर पर निगरानी रखने तथा चापाकल मरम्मति में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्त्तमान में हुई वर्षा एवं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि द्वारा माह अगस्त में अच्छी वर्षापात होने की संभावना के आलोक में सुखाड़ की स्थिति नहीं रहने पर स्थिति पर निरन्तर निगरानी करने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा 23–24 अगस्त तक सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा पुनः आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक में करने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा निम्न कार्रवाई करने का निदेश दिया गया :–

i. वर्त्तमान में जलवायु परिवर्त्तन के मद्देनजर मॉनसून के विलंब से आने एवं कम वर्षापात के आलोक में वर्ष 2006 से वर्षापात के ट्रेंड का अध्ययन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा किया जाय। कृषि विभाग **Crop Cycle** के अनुरूप कार्रवाई करे।

ii. धान की रोपनी अधिक से अधिक करवाया जाय।

iii. अल्प वर्षापात एवं कम फसल आच्छादन के मद्देनजर कम फसल आच्छादन वाले जिले/प्रखण्डों में सतत् निगरानी रखी जाय।

iv. डीजल सब्सिडी वितरण में अपेक्षित तेजी लायी जाय।

v. आकस्मिक फसल योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाय एवं देर से रोपनी वाले जिलों अथवा रोपनी नहीं होने वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक फसल लगवाने हेतु कृषि सलाहकार को किसानों के साथ समन्वय बनाकर रखें। किसानों को ऐसे क्षेत्रों में सीधे बोआई हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

vi. धान रोपनी के आच्छादन की वास्तविक स्थिति की जानकारी हेतु हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति ज्ञात की जाय।

vii. धान रोपनी के उपरान्त इसे बचाने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई की जाय।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

ह0/–
(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव
बिहार।

ज्ञापांक ...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/ निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, फुलवारी शरीफ, पटना/ क्षेत्रीय निदेशक केन्द्रीय भू–जल आयोग, 6 एवं 7वां तल, लोकनायक जय प्रकाश भवन, फ्रेजर रोड, पटना/ कार्यपालक अभियंता, मिडिल गंगा डिविजन–5, केन्द्रीय जल आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(एम0 रामचन्द्रुडु)
अपर सचिव

ज्ञापांक ...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि:– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव

ज्ञापांक 2532 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 12/9/18

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव